न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **59/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस0एस0राणावत निवासी एफ 159/5 हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर,(प्रशासन) भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 29.06.2017 को स्वयं उपस्थित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 19/05/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 674692 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, (प्रशासन) भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19/05/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू.अ. / 2017 दिनांक 14.07.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 19.05.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 से 4 के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त कर उपलब्ध कराई गई जिनके पत्रों की प्रतियां प्रत्यर्थी के जवाब के साथ संलग्न की है। अपीलान्ट के सूचना प्राप्ति के सम्बन्ध में स्वयं के आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2017 पर विभिन्न दिनांकों में सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर होकर नोट अंकित किए हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 19.05.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को हमदस्त उपलब्ध कराई गई । सूचना प्राप्ति के अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.05.2017 पर विभिन्न दिनांकों में प्राप्ति के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना राजस्व अनुभाग द्वारा समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई है। बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचना प्रकोष्ठ द्वारा अपने पत्रांक आर 264/178 दिनांक 22.05.2017 से पत्र स्थानान्तरित किया गया। महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र,भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक 1255 दिनांक 30.05.2017 से वांछित सूचना सम्बन्धित कोई दस्तावेज/पत्रादि नहीं होने की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा एवं स्वयं अपीलान्ट को प्रति प्रेषित की है जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। आवेदन दिनांक 19.05.2017 के बिन्दु संख्या 2 की सूचना न्याय अनुभाग के द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 31.05.2017 को उपलब्ध करा दी गई जिसके हस्ताक्षर मूल आवेदन की प्रति पर अंकित है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना स्थापना अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक/15801 दिनांक 12.06.2017 से अपीलान्ट को दिनांक 20.06.2017 को 22 पेज उपलब्ध कराए गए जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर आवेदन पत्र की फोटो प्रति पर दर्ज है। परन्तु अपीलान्ट का कथन है कि सूचना मांग अनुसार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा सूचना अपूर्ण होने एवं मांग अनुसार सूचना कौनसी नहीं मिली इसके सम्बन्ध में लिखित में कोई प्रत्युत्तर/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को नियत समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना कार्यालय के सम्बन्धित अनुभागों में उपलब्ध है वह अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करावें तथा अपीलान्ट से सूचना प्राप्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पालना से अवगत करावें।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा